राजस्व प्रकरण संख्याः—128 / 2017 दायर तारीख 04.09.2017

अनवान

1. गोर्धनलाल पिता मोहनलाल जाति लोहार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. कन्हैयालाल पिता मोहनलाल जाति लोहार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. नन्दलाल पिता गोपी जाति लोहार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. कल्याण पिता गोपी जाति लोहार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. उदा पिता रुगा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार साहब बिजौलिया

..............अप्रार्थीगण

उपस्थित :— श्री ब्रहम प्रकाश तिवाडी अधिवक्ता प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार बिजौलियां)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय

दिनांक :— 26.06.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि आ0नं0 787, 788, 793, 762, 760, 763, 786, 789, 790, 791 ग्राम जलिन्द्री में स्थित है जिस पर आने जाने के लिये 15 फीट रास्ता जो कि आ0नं0 775 के उत्तर दिशा की मेड पर होता हुआ प्रार्थीगण की आराजीयात में जा रहा है। प्रार्थीगण करीब 40—50 वर्षो से उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थीगण अपनी आराजीयातों पर काश्त की जा रही है। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात है। विपक्षी द्वारा उक्त रास्ते को संकडा कर अवरुद्व कर दिया है प्रार्थीगण को खेत पर आने जाने नही देते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिये आने जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाडी ले जाने हेतु अवरुद्व कर दिया है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही है। यह कि प्रार्थीगण विपक्षी की उक्त आराजीयात पर स्थित 15 फीट चौडे रास्ते को रिकार्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण को तलवी जरिये नोटिस मय नकल भेज करवाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

विपक्षी नं0 1 बावजूद इतल्हा गैर हाजिर रहने से एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब कि गई तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक 970 दिनांक 22.06.2018 से तहसीलदार बिजौलियां ने अंकित किया कि ग्राम जलिन्द्री की आ0नं0 775 रकबा 7-16 बीघा भूमि उदा पिता रुग्गा मीणा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड के उत्तरी मेड पर होकर प्रार्थीगण की आ0नं0 787, 788, 792 व 793 में रास्ता जाता है तथा मौके पर भी रास्ता बना हुआ है। आ0नं0 774 कुआ होने से कुऐं की आराजी में से रास्ता दिया जाना उचित नही है। आ0नं0 775 में से 15 गुणा 264 फीट बराबर 3960 वर्गफीट बराबर 0-05 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौका पर नही है रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 57480 रुपये होकर भूमि की मालियत 14370 रुपये से दुगना 28740 रुपये बनता है।

प्रार्थना पत्र में बहस अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की सूनी गई।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जलिन्द्री में प्रार्थीगण के स्वामित्व के आराजीयात आ0नं0 787, 788, 793, 762, 760, 763, 786, 789, 790, 791 जिस पर आने जाने के लिये 15 फिट रास्ता जो कि आ0नं0 775 के उत्तरी मेड पर होकर प्रार्थीगण की आ0नं0 787, 788, 792 व 793 में रास्ता जाता है तथा मौके पर भी रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी ने 15 फिट चौडे रास्ते की मांग की है। तहसीदार बिजौलियां के पत्रांक 970 दिनांक 22.06.2018 से जाहिर आया कि प्रार्थीगण के उक्त आराजीयात में पहुॅचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौका पर नही है रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 57480 रुपये होकर भूमि की मालियत 14370 रुपये से दुगना 28740 रुपये बनता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। ग्राम जलिन्द्री की प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजीयात पर पहुॅच मार्ग के लिये आ0नं0 775 में से 15 गुणा 264 फिट (3960 वर्गफीट) 0-05 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी। भूमि के डी0एल0सी0 दर अनुसार मुआवजा राशि 28740 रुपये विपक्षीगण को भुगतान योग्य है राशि प्राप्त नही करने की दशा में राशि राजकोष में जमा होने पर रास्ता प्रयोजन भूमि राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को प्रेषित है।

आदेश आज दिनांक 26.06.2018 को मुकाम लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

26/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प जलिन्द्री)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा